I

कार्यालय वनमंड़ल सामान्य राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

टेलीफोन – (07372) 255007 (का.) 255008 (नि.) ई–मेल dfotrajgarh@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2020/1543 राजगढ़ दिनांक 5-11-2020

प्रति,

प्रबंधक
टेलीसोनिक, नेटवर्क लिमिटेड
विजयनगर, इंदौर, म.प्र.

विषय :– राजगढ जिले में Telesonic Network Ltd. द्वारा Kurawar- Biaora route में एन.एच.–52 सडक मार्ग के किनारे आप्टिकल फायवर केबल लाईन बिछाने हेतु 0.09 हेक्टयर वनभूमि को प्रबंधक, टेलीसोनिक, नेटवर्क लिमिटेड विजयनगर इंदौर म.प्र. को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन **प्रकरण कमांक/ FP/MP/OFC/47913/2020**) (स्वीकृत)

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. /एफ–5/विविध/2020/10–11/2726 दिनांक 27.08.2020 एवं मु.व.स. भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्र./माचि./4107 दिनांक 01.10.2020

---- 00 ----

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि, मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल का पत्र क्र./माचि. /4107 दिनांक 01.10.2020 के अनुसार प्रकरण में सडक किनारे आर.ओ.डब्ल्यू के तहत ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु अनुमोदन किया गया है। जिसमें आपके द्वारा राजगढ वन मण्डल के अंतर्गत Kurawar- Biaora route में एन.एच. –52 सडक मार्ग के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू के तहत 0.09 हेक्टेयर वन भूमि मे भूमिगत ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने की अनुमति के संबंध मे प्रस्ताव ऑनलाईन forests Clearance की बेबसाईट के माध्यम से प्रकरण कमांक/FP/MP/OFC/47913/2020 से पंजीबद्ध किया गया है उपरोक्त प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु राजगढ वन मण्डल के परिक्षेत्रो का निम्नानुसार वन क्षेत्र प्रभावित होगा।

R.O.W. के तहत आवेदक/ संस्था द्वारा डाली गई लाईन का नाम	प्रभावित वनक्षेत्र			वनखण्ड, कक्ष क्र., बीट का नाम एंव वनों का घनत्व एवं प्रकार	स्थल की जी. पी.एस. रीडिंग
	लंबाई मी. में	चौड़ाई मी. में	कुल रकबा हे. में		
1	2	3	4	5	6
प्रबंधक, टेलीसोनिक, नेटवर्क लिमिटेड विजयनगर इंदौर द्वारा राइट आफ वे के तहत एन.एच.–52 सड़क किनारे ओ.एफ.सी. लाइन डालने बाबत	1500	0.6	0.09	वनखण्ड एवं बीट कंतोडा कक्ष कमांक पी–03 0.4 मिश्रित वन	N23°43'31.06" E 77°05'07.04" N23°42'44.63" E 77°04'49.88"
योग :–	**1500**	**0.6**	0.09		

ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने मे राजगढ वन मण्डल का कुल 0.09 हेक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित होना है। सडक मार्ग के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू. के तहत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि उपयोग पर देने के संबंध मे म0प्र0 वन विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक/एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश कमांक/एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 14.12.2005 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक/एफ–11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र

कमांक/ एफ–11/2017/10–11/2586 दिनांक 01.09.2017 मे निहित प्रावधान एवं प्राप्त दिशा निर्देश तथा मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र कमांक/माचि/4107 दिनांक 01.10.2020 से दिये गये निर्देशानुसार एवं प्रस्ताव का अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि उपयोग की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त कमांक–1

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

शर्त कमांक–2

उक्त कार्य केवल उपलब्ध मार्ग के किनारे "राईट ऑफ वे" के तहत किया जावेगा।"राईट ऑफ वे" से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

शर्त कमांक–3

यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे हैं फिर भी खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जावेगा।

शर्त कमांक–4

प्रस्ताव अनुसार ओ.एफ.सी केबल लाईन डालने हेतु खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं 0.60 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

शर्त कमांक–5

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–6

समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यक हो तो वनक्षेत्र मे उत्खनन नहीं किया जावेगा, जिसकी पूर्ति अन्य स्थानों से की जावेगी।

शर्त कमांक–7

यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी राजगढ द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल राजगढ द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्ते आवेदक संस्थान को मान्य होगीं।

शर्त कमांक–8

पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास/आवास को कोई क्षति नहीं पहुचाई जायेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो आवेदक विभाग उसकी भरपाई करेगा।

शर्त कमांक–9

कार्य पर लगाये गये मजदूरों द्वारा जलाऊ लकड़ियों का उपयोग नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–10

ओ.एफ.सी केवल लाईन डालने का कार्य सूर्य उदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जावेगा तथा वनक्षेत्र मे कोई श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

शर्त कमांक–11

वनक्षेत्र स्थित किसी भी प्रकार की वनोपज का परिवहन नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–12

आवेदक संस्थान कुरावर से ब्यावरा रोड तक मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर खन्ती खोदकर ओ.एफ.सी केबल लाईन बिछायेगा जिसका कि परिक्षेत्र अधिकारी ब्यावरा, एवं उप वनमण्डलाधिकारी राजगढ ने संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान क्षेत्र चिन्हित किया गया था।

शर्त क्रमांक–13

यदि भविष्य में भारत सरकार अथवा राज्य शासन अथवा वन विभाग द्वारा नेट–प्रेजेन्ट वैल्यू की शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक संस्थान उक्त शर्त को मानने के लिए वचनबद्ध रहेगा।

शर्त क्रमांक–14

प्रकरण के संबंध मे उपरोक्त स्वीकृति आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अनुसार वनक्षेत्रों के अंतर्गत ही प्रदान की गई है यदि प्रकरण मे राजस्व विभाग के अधीन राजस्व वनक्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) मे खुदाई की जाती है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

शर्त क्रमांक–15

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के आदेश क्रमांक/एफ–5–14/2005/ 10–3 दिनांक 30.07.2012 मे निहित प्रावधानानुसार प्रकरण के संबंध मे पंजीयन शुल्क 5,000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 25,000/– कुल राशि 30,000/– का बैंक ड्राफ्ट आवेदक विभाग से प्राप्त कर चालान द्वारा राजस्व मद मे जमा कराया गया है। वन भूमि व्यपवर्तन के भूमिगत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन के प्रकरणों को म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रकरण को एन.पी.व्ही. की राशि से छूट प्रदान की गई है किन्तु आवेदक विभाग को नोडल अधिकारी के समक्ष 100/– रूपये की राशि ऑन लाईन बेबसाईट पोर्टल पर कैम्पा खाता के अन्य मद मे ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करानी होगी।

शर्त क्रमांक–16

राशि जमा होने के उपरान्त आवेदक विभाग शर्तो का पालन प्रतिवेदन बेबसाईट पोर्टल पर अपलोड कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के प्रस्तुत करने एवं नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन OK रिपोर्ट प्राप्त होने पर द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल राजगढ

पृ0क्रमांक/माचि/1544
राजगढ, दिनांक 6/11/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र क./माचि/4107 दि. 01.10.2020 के संबंध मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप वन मण्डलाधिकारी राजगढ एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्यावरा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण मे द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनक्षेत्र मे आवेदक विभाग को कोई भी कार्य न करने दिया जावे।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल राजगढ

D:\DM RAJGARH\DM\new Letters 2020-21... (Autosaved).docx